



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-3781-औ०सं०/2019-116/ए०एस०/96

दिनांक 26 अक्टूबर, 2019

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल,

विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवम् केस्को, कानपुर।

ई-मेल

विषय:- वर्ष 2017-2018 हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा लेखा वर्ष 2017-2018 के लिए अपने पूर्ण कालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को उ०प्र० शासन की अनुरूपता में तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की निम्नलिखित प्रतिबन्धों सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स में, लेबल-8 (रु० 47600-151100) तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में, जिनके वेतनमान का अधिकतम ग्रेड वेतन रु० 5400/- से कम है।) पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों, जिन्हें उपरोक्त उच्च वेतन मैट्रिक्स, समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरानुनयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनकी प्रास्थिति (स्टेट्स) में परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा।
2. उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने 31 मार्च 2018 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।
3. तदर्थ अनुग्रह राशि के लिये एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2018 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की जायेंगी।
4. दिनांक 31 मार्च 2018 को वास्तविक औसत परिलब्धियाँ रु० 7000/- से ज्यादा होने की स्थिति में रु० 7000/- की परिकल्पित परिलब्धि मानकर दिनांक 31 मार्च 2018 को 30 दिन की परिलब्धियाँ $(7000 \times 30 / 30.4 = 6907.89)$ अर्थात् रु० 6908/- तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में अनुमन्य होंगी।
5. ऐसे कर्मचारी, जिनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ अनुग्रह राशि का भुगतान ऐसे अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2017-2018 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमे में दण्ड दिया गया हो उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि देय न होगी।
6. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ अनुग्रह धनराशि के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षों में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।
7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह धनराशि की आगणित धनराशि को निकटतम एक रुपया में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को एक रुपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

(Signature)

8. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च 2018 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च 2018 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240, दिन कार्यरत रहे हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिये मासिक परिलब्धियाँ ₹0 1200/- प्रतिमाह मानी जायेगी। और इस प्रकार तदर्थ अनुग्रह राशि की देय धनराशि ₹0 1200 X 30 / 30.4 = 1184.21 अर्थात् ₹0 1184 पूर्णांकित होगी परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियों ₹0 1200/- प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।
9. सभी श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ अनुग्रह धनराशि की अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते/सी0पी0एफ0 में (जैसी भी स्थिति हो) जमा किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि/सी0पी0एफ0 खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा पब्लिक प्राविडेंट फण्ड (पी0पी0एफ0) में जमा किया जायेगा। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च 2019 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले हो उनको अनुमन्य सम्पूर्ण तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान नकद दिया जायेगा।
10. वर्ष 2017-2018 हेतु पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान पर आये वित्तीय भार को कारपोरेशन के आय-व्ययक 2019-2020 के नामे डाला जायेगा।
11. अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिए लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकृत पत्र (लेटर आफ अथारिटी) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी और कारपोरेशन के उक्त आदेश के आधार पर ही वर्ष 2017-2018 हेतु अनुग्रह धनराशि का भुगतान ग्राह्य होगा। कृपया उक्त निर्णयानुसार निधि आवंटन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष

संख्या-3781-(1) औ0सं0/2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (उ0प्र0 उत्पादन निगम लि0)/(उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0) के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ को सूचनार्थ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव शक्ति भवन लखनऊ।
6. अपर महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन) एवं (निधि प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. अधीक्षण अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
14. कट फाइल।

(ए0क0 पुरवार)

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)